

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : मु०चि०आ० / अधि०-नि०चिकि०प्रति०पंजी० / 2022 / ३२६८ -४

दिनांक २६/०३/२०२२

- समस्त प्रबन्धक / संचालक,  
निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (50 बेड एवं 50 बेड के अधिक)  
जनपद लखनऊ।
- सचिव,  
लखनऊ नर्सिंग होम एसोशिएसन, लखनऊ शाखा  
जनपद लखनऊ

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र. संख्या ५५ / पौंच-६-२०२२ दिनांक ०७.०१.२०२२ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में नैदानिक स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण एकट २०१० के अन्तर्गत जनपद के ५० बेड या उससे अधिक शैय्या के चिकित्सालयों / नैदानिक स्थापनाओं का रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकरण समस्त नैदानिक स्थानपनों के पंजीकरण की वैधता दिनांक ३१.०३.२०२२ को स्वतः समाप्त हो जाने से पूर्व अपने रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रीकरण एकट २०१० के अन्तर्गत कराना आवश्यक होगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में आपके सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने चिकित्सा प्रतिष्ठान में समस्त मानकों का अद्यतन करते हुए वर्ष २०२२-२०२३ में अपने चिकित्सा प्रतिष्ठान का पंजीकरण / नवीनीकरण रजिस्ट्रीकरण एकट २०१० के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार सुचारू रूप से किया जा सके।

इस कम में यह भी अवगत कराना है कि आपके अधीन समस्त चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का पंजीकरण यूपी मेडिकल काउन्सिल एवं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से कराना सुनिश्चित कर लें जिससे कि आपके चिकित्सा प्रतिष्ठान में कार्यरत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल का उपरोक्त उल्लेखित रजिस्ट्रीकरण एकट २०१० के अन्तर्गत निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के पंजीकरण / नवीनीकरण के समय अनावश्यक विलम्ब न हों।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
लखनऊ।  
तददिनांक

पत्रांक मु०चि०आ० / अधि०-नि०चिकि०प्रति०पंजी० / २०२२ / ३२६८ -४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १ अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अनुभाग-६, उत्तर प्रदेश शासन।
- २ महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ३ जिला अधिकारी, लखनऊ।
- ४ निदेशक चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ५ अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- ६ नोडल अधिकारी, निजी०चिकि०प्रति०पंजी० कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- ७ गार्ड फाईल।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
लखनऊ।